संख्या-39/2020-991/58-2020-24/2019

प्रेषक

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 08 जुलाई, 2020**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रोइरीगेशन की योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश में राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रु0-1000.00 लाख को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30/बजट/2020-21, दिनांक 25.06.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में भारत सरकार से गत वर्ष प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-1061.11 लाख में राज्यांश की धनराशि रू0-707.42 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि रू0-1149.35 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल प्रस्तावित धनराशि रु0-2917.88 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0-1000.00 लाख (रु0 दस करोड़ मात्र) (जिसमें केन्द्रांश 600.00 लाख तथा राज्यांश रु0-400.00 लाख है) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अनुदानसं0-10 (धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	कोड सं0/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित	अवमुक्त की जा रही धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म- 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0102-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन (के.60/रा. 40-के.+रा.)	27-सब्सिडी	21109.64	2805.62	960.00
	42-अन्य व्यय	606.01	51.42	20.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	77.22	60.84	20.00
	योग-	21792.87	2917.88	1000.00

(रू0-दस करोड़) मात्र

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों एवं परियोजना प्रस्ताव के अनुरुप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020 /बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शत् प्रतिशत् भारत सरकार का अंश निहित होगा। तद्नुसार केन्द्रांश/राज्यांश की अनुदान धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय नियमानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहाँ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि के व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नवत अपनायी जायेगीः-

i. वेब पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्धांत पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा।
ii. योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतान करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से बैंक खाते/ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी।
iii. लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी.डी.सी.) संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।
iv. लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति, जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(12) लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

(13) लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(14) निर्माता फर्म द्वारा लाभार्थी कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र, 3 वर्ष तक फ्री सेल सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(15) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(16) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

(17) वित्त नियन्त्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(18) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(19) योजना पर किये गये व्यय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

(20) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रोइरीगेशन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-यू0ओ0-ई-1-518/दस-2020, दिनांक 07 जुलाई, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-39/2020-991(1)/58-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-7-3/2020-आर0एफ0एस0-III दिनांक 15.04.2020 एवं पत्र सं0-17-4/2020-आर0एफ0एस0-III दिनांक 18.05.2020 के संदर्भ में।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षक) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, लखनऊ।
5- निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in